कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म0प्र0

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था

चतुर्थ निविदा फार्म एवं शर्ते
2015–2016

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा फार्म का मूल्य रू. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक.........................

रसीद क्र...

दिनांक..

वाहन व्यवस्था हेतु नियम एवं शर्ते

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे आने वाले दो पहिया, तीन पहिया, एवं चार पहिया वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वर्ष 2015–16 के लिये सील बंद लिफाफे मे निविदाएँ आंमत्रित की जाती है।

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	**31.3.2015 सायं 3 बजे तक**
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**9.4.2015 सायं 3 बजे तक**
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	**10.4.2015 दोपहर 12:30 बजे**
अमानत रा‍ि ा रू.	**रू.250000.00(दोलाखपचास हजार) डी.डी**
निविदा प्रपत्र भुल्क	**रू. 5000.00 (पांच हजार)डी.डी**

2. निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेगी।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) का राश्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नही होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करनें के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी।डीमाण्ड ड्राफट पर निविदाकार को ब्याज देय नही होगा ।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र (तीन माह के भीतर तक का) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. वाहन स्टैण्ड संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के केवल चार स्थानों पर ही लगाया जायेगा। 1. नवीन बाहय रोगी भवन 2. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मुख्य भवन द्वार के सामने, 3. गांधी स्मारक चिकित्सालय के मुख्य भवन द्वार के सामने, 4. प्रायवेट वार्ड एवं गायनी वार्ड के गेट के सामने। इन चारों स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान मे अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति एवं निर्देशानुसार ही वाहन स्टैण्ड लगाया जा सकता है।
7. निविदाकार को वाहन सुरक्षा हेतु अस्थायी छाया का निमार्ण (बांस, बल्ली एवं तिरपाल इत्यादि) लगाकर करना होगा।
8. निविदाकार को निर्धारित स्टेण्ड की जगह की साफ–सफाई एवं व्यवस्था सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी
9. निविदाकार वाहन स्टैण्ड का ठेका अन्य किसी भी व्यक्ति को नही दे सकेगें तथा उसे अपने कार्यकर्त्ताओं की डियूटी एवं नाम की फोटोमय सूची आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे देना होगा व स्टैण्ड के सामने बोर्ड मे लिखकर टांगना होगा। कार्य पर लगाए गए कार्यकर्त्ताओं को कार्य के समय निर्धारित पोषाक धारण करनी होगी जिसकी सूचना (ड्रेस की सूचना) इस कार्यालय को देनी होगी साथ ही कार्य पर लगाये गये कार्यकर्त्ताओं का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो संबधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया हो, को 45 दिन के अन्दर देना अनिवार्य होगा।

10. चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों चिकित्सकों, पोस्टमैनों एवं बाहर से डाक लाये हुये कर्मचारियों तथा पुलिस जो भर्ती रोगियों के साथ होगें, उनके द्वारा रखे जाने वाले वाहनों आदि से किराया नहीं लिया जावेगा।

11. वाहन स्टैण्ड 24 घण्टे खुला रहेगा। रखे हुये वाहनों मे से यदि कोई वाहन 24 घण्टे से अधिक समय तक नहीं उठाया जाता है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं पुलिस स्टेंशन मे देना आवश्यक होगा।

12. वाहन स्टैण्ड की दिन प्रतिदिन की निगरानी एवं देखरेख संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा/उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जावेगी निविदाकार को उनके निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा ।

13. निविदाकार से चिकित्सालय के कर्मचारी या जनता के बीच किसी भी प्रकार का यदि वाद– विवाद होता है तो अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

14. सफल निविदाकार को स्वीकृति निविदा राशि 04 किश्तों में तिमाही जमा करना होगा। प्रथम तिमाही किश्त की राशि ठेका प्रारंभ करनें के पूर्व अग्रिम राशि के रूप मे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में जमा करना होगा। तद्पोरान्त ही ठेका प्रारम्भ किया जा सकेगा। आगामी 03 किश्ते त्रैमासिक रूप से अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में मॉह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की स्थित मे 10 प्रतिशत अधिक राशि किस्त के साथ एक माह विलम्ब तक जमा की जा सकेगी। निर्धारित राशि जमा न करने पर निविदा को निरस्त करते हुये अमानती राशि राजसात कर ली जावेगी।

15. निविदाकार द्वारा कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों का फोटोयुक्त परिचय पत्र की 01 प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा ।

16. वाहन स्टैण्ड के लिये किराये की दरें अधिकतम निम्नवत निर्धारित की जाती हैं :–
– वाहन स्टैण्ड हेतु निर्धारित अधिकतम दरें (रूपये मे)–

क्र.	वाहन शुल्क	एक बार या 24 घण्टे तक
1.	सायकल	2/–
2.	मोटर सायकल एवं स्कूटर	5/–
3.	तीन एवं चार पहिया वाहन	10/–

17. बाहय रोगी/आकस्मिक चिकित्सा विभाग तक मरीजो को लाने व ले जाने वाले वाहनों से किराया नही लिया जावेगा। जो वाहन केवल वाहन स्टैण्ड पर खडे होगे उन्हीं से किराया लिया जावेगा।

18. निविदाकार जिस टोकन का उपयोग सायकल, स्कूटर, मोटर आदि वाहनों पर पूर्ण सुरक्षा हेतु प्रदाय करेगा उस पर टोकन नं., राशि, दिनांक, समय एवं निविदाकार का नाम हिन्दी मे अंकित होना अनिवार्य होगा। निविदाकार को दिये जाने वाले टोकन का नमूना की प्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच., रीवा के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।

19. वाहन स्टैण्ड मे रखी जाने वाली साइकिलों, स्कूटरों, मोटरों आदि की पूर्ण जिम्मेदारी एवं सुरक्षा, निविदाकार की होगी तथा चिकित्सक एवं स्टाफ एवं चिकित्सालय में अन्य कार्यरत कर्मचारियों के वाहन की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इसके लिये निविदाकार द्वारा 24 घण्टे का पास भी देना होगा। वाहन स्टैण्ड में रखा हुआ वाहन चोरी होता है तो वाहन की कीमत निविदाकार को देनी होगी। इसके लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।

20. चिकित्सालय के प्रत्येक साइकल स्टैण्ड मे रेट सूची दर के साथ मोटे अक्षरों मे जिस पर दिनांक एवं समय अंकित होना जरूरी है आवश्यक रूप से निविदाकार को लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की शिकायत होने पर यदि सत्य पाया गया तो ठेकेदार को प्रथम बार रू 10,000/– (दस हजार) का जुर्माना तथा दूसरी ि ाकायत प्राप्त होने पर रू. 15000.00 (पन्द्रह हजार) का जुर्माना एवं तीसरी शिकायत प्राप्त होनें पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का मान्य होगा।

21. निविदाकार को निविदा के साथ श्रम विभाग में पंजीकृत होनें का प्रमाण पत्र जिसमे वाहन सुरक्षा व्यवस्था कार्य दर्शित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार को ठेका अवधि में श्रम कानून नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पिछले दो वर्षो के आयकर रिटर्न जमा करनें की पावती की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

22. सफल निविदाकार को निधारित त्रैमासिक किस्तों की राशि अग्रिम के रूप मे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय मे नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। जमा करनें की सूचना संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय को भी देना अनिवार्य होगा।

23. यदि ठेकेदार द्वारा मासिक किराये की दर पर ऐसे वाहन कार एवं आटो खडे किये जाते हैं जिनके कोई परिजन अस्पताल में भर्ती नहीं रहते हैं ऐसी स्थिति पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 20,000/– (बीस हजार) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

24. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

25. कार्य प्रारम्भ के पूर्व सफल निविदाकार को कार्य व्यवस्था से सम्बधित 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ अनुबंध निस्पादित करना अनिवार्य होगा ।

26. निविदा अवधि समाप्त के बाद जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नही होती है, तब तक निविदाकार को पूर्ववतः नियम, शर्तो एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।

27. जितने भी अशासकीय एम्बुलेन्स चिकित्सालय के अन्दर व चिकित्सालय के प्रांगण में खड़े होते है, उनका किराया बड़े वाहन रूपये 1500/— व छोटे वाहन रूपये 1000/— मासिक तय किया जाता है। सफल निविदाकार ऐसे वाहनो की सूची तैयार करेगे। तथा उनसे प्राप्त किराया निविदा राशि के किश्त के अतिरिक्त प्रथक से अग्रिम जमा कराना होगा। सफल निविदाकार वाहन मालिकों से आवेदन प्राप्त कर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में अनुमति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अग्रिम राशि जमा करनें के उपरांत ही अनुमति दी जावेगी। अनाधिकृत रूप से कोई भी वाहन/अशासकीय एम्बुलेंस जिसकी अनुमति अधिष्ठाता कार्यालय से प्राप्त नही है, वह चिकित्सालय परिसर में खडे नहीं होगें। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी घटना के लिये सफल निविदाकार द्वारा ही वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। चिकित्सालय परिसर में आये ट्रक,टैक्टर,आदि वाहन स्टैण्ड में खडे नहीं रहेगे। रात्रि में यदि यह वाहन पाये जाते है तो निविदाकार को जुर्माना किया जा सकेगा ।

28. सफल निविदाकार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की क्षति,दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय जिम्बेदार नही होगा और न ही किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती की जावेगी । इसकी पूर्ण जिम्वेवारी निविदाकार की होगी ।

29 स्वीकृति निविदा स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि तक अथवा आगामी निविदा स्वीकृति होने तक प्रभावशील रहेगी।

30. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति मे न्यायालय रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा म.प्र.

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा म.प्र.

निविदा प्रस्तुत करनें संबधी सामान्य निर्देशः–

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप मे तीन सील्ड लिफाफे क्रमांक ए, क्रमांक बी, एवं क्रमांक सी जो कि एक बडे लिफाफे मे सील्ड होगा, प्रस्तुत करने होगे।

लिफाफा क्रमांक ए मे रखे जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–

1. धरोहर राशि रूपये 250,000/– (दो लाख पचास हजार) का डिमाण्ड ड्राफट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र (तीन माह के भीतर तक का) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का शपथ–पत्र।

4. आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र बतौर पिछले दो वर्षो की आयकर रिटर्न जमा करने की रसीदों की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।

5. निविदा फार्म एवं शर्ते समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर सील सहित।

लिफाफा क्रमांक बी :– **प्राइस बिड वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यव्स्था हेतु** वार्षिक दर प्रस्तुत करनी होगी।

लिफाफा क्रमांक सी :– लिफाफा सी मे लिफाफा ए एवं लिफाफा बी रखे जाएगें। निविदाकार लिफाफें मे प्रत्येक लिफाफा में अपना पूरा पता अंकित कर सील बंद करेंगे। सबसे उपर **वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015–2016** अंकित करगें।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा म.प्र

<u>निविदा आवेदन प्रपत्र का प्रारूप वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु</u>

<u>(निविदाकार अपनें लेटरहेड में प्रस्तुत करें)</u>

1. निविदाकार का पूरा नाम ....
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं. ....
   एवं पंजीयन की छायाप्रति ....
3. उम्र / लिंग / पुरूष / स्त्री ....वर्ष....................पु0 / म0...............
4. पिता का नाम ....
5. स्थानीय पता ....
6. स्थायी पता ....
   पते से संबंधित उचित दस्तावेज संलग्न करें।...
7. राजपत्रित अधिकारी से..
   प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो
   संलग्न करें।
8. पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापित चरित्र ....
   प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र..
10. वाहन सुरक्षा ठेके की अमानती राशि रू. ....
    रू. 2,50,000 / —(दो लाख पचास हजार) अंको एवं शब्दों मे लिखें।.......................................
11. डी.डी.. क्र. एवं दिनांक ....
13. पैन कार्ड / टिन नम्बर ....
    (छायाप्रति संलग्न करें।)..
14. आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र के बतौर पिछलें दो वर्षो की आयकर रिर्टन जमा करनें की रसीदों की छायाप्रति।
15. अन्य जानकारी एवं संबंधित ....दस्तावेज संलग्न करें।

नोटः— मैने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा क्र.......... दिनांक .... को......... ....समाचार पत्र मे प्रकाशित हुई है, के अनुसार वाहन सुरक्षा व्यवस्था का ठेका सभी शर्ते के साथ मान्य करता हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

प्रपत्र – ए

(प्रथम लिफाफे में सील बंद करें तथा लिफाफें पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

अर्नेस्टमनी राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में

अर्नेस्ट मनी दस्तावेज उल्लेख करते हुये रखने हेतु

वाहन स्टेण्ड सुरक्षा ठेके हेतु जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्रमांक	डी.डी का नम्बर विवरण	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक / वैधता तिथि

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर....................................
निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....
(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः– बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे मे सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निविदाकार का नामः–

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क्र. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	अर्नेस्ट मनी रू. 250000/–(दो लाख पचास हजार मात्र) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न।				
2.	निविदाकार का श्रम विभाग मे पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र जिसमे वाहन सुरक्षा व्यवस्था कार्य दर्शित हो ।				
3.	निविदाकार का पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र तीन माह के भीतर का				
4.	वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 का आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति।				
5	पैन कार्ड नम्बर एवं उसकी छायाप्रति ,				
6	आयकर/अन्य कर बकाया न होने का घोषणा पत्र नोटरी से सत्यापित				
7.	100 रू. स्टाम्प पर घोशणा पत्र मूलतःनिविदा प्रपत्र मे संलग्न प्रारूप अनुसार				
8.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील सहित ।				

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषयः– वाहन सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा बाबत् ।

–––0–––

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र .... दिनांक ....मे प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ, कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ में वाहन सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किये जा रहे हैः–

1. श्रम विभाग मे पंजीकृत होने प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
2. पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र ।
3. आयकर रिटर्न एवं आयकर स्थायी लेखा संख्या की छायाप्रति।
4. किसी भी प्रकार के कर बकाया न होने का नोटरीकृत शपथ पत्र ।
5. 100 रू. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र ।

दिनांक ....
स्थान ....

हस्ताक्षर ....
पूर्ण पता ....
....

–घोषणा–पत्र–

(100/– रूपये के नानज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूॅ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदाकार्य के लिये सक्षम हूॅ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूॅ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूॅ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा चिकित्सालयों मे वाहन स्टेंन्ड सुरक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर उससे जो नुकसान होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है ।
8. मैं अपने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अकुशल दर पर भुगतान करूॅगा।

9- gekjh laLFkk ds fo:} lh-ch-vkbZ0@’kkldh; dk;kZy; bR;kfn esa dksbZ tkpa yfacr ugh gSA ukgh l{ke U;k;ky; es vkijkf/kd izdj.k ntZ gS vkSj u gh nf.Mr fd;k x;k gSA

10. मैं बालश्रम अधिनियम/श्रम कानून के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूॅगा।

दिनांकः (निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम– ....

पूरा पता– ....

फोन एवं मोबा. न.– ....

गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

के परिसर मे वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु

रेट सूची

मै/हम (फर्म) .... गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे वाहन सुरक्षा हेतु नीचे अंकित दर से ठेके का कार्य लेना चाहता हूँ।

वार्षिक रूपये .... शब्दों में वार्षिक रू. ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता